न्यायालय अपर जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर
पीठासीन अधिकारी सुरेन्द्र सिंह पुरोहित आर.ए.एस.

सप्लाई विविध प्रकरण संख्या : 07/2022

प्रार्थी	**बनाम**	**अप्रार्थी**
राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर		श्री AMMNULLAH फर्म माजीसा रिपेयर्स, 11 वी पाल रोड़, किसान भोजनालय के पीछे, जोधपुर

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000

उपस्थितिः –
1. प्रार्थी की ओर से विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय, प्रथम जोधपुर उपस्थित।
2. अप्रार्थी की ओर से कोई उपस्थित नहीं।

निर्णय

दिनांक 28.04.2025

प्रार्थी राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर की ओर से प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 6-ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सपठित द्रवित पेट्रोलियम गैस (वितरण एवं प्रदाय नियन्त्रण) आदेश 2000 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री AMMNULLAH फर्म माजीसा रिपेयर्स, 11 वी पाल रोड़ किसान भोजनालय के पीछे, जोधपुर के विरूद्ध यह प्रकरण जब्तसुदा 13 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डरों से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली तीन बांसुरियां को राज्यसात करने हेतु इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 08.10.2022 को पुलिस थाना सरदारपुरा की टीम द्वारा घरेलु गैस सिलेण्डरों के अवैध भण्डारण व रिफलिंग कार्य करते हुए किसान भोजनालय 12 वी रोड़ के पीछे एक दुकान पर दबिश की सूचना पर जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर के दूरभाष पर निर्देशानुसार प्रवर्तन अधिकारी मय टीम कार्यालय जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर द्वारा मौके पर 11वी पाल रोड़ स्थित एक दुकान जिस पर माजिसा रिपेयर्स लिखा हुआ था पर जिस पर मय पुलिस टीम दुकान का अवलोकन करने पर वहां घरेलु गैस सिलेण्डर, एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां पाई गई। मौके पर दुकान पर कोई व्यक्ति उपस्थित नहीं मिला। उपस्थित पुलिस टीम ने बताया कि हम जब दबिश देने मौके पर पहुंचे तब उसका मालिक फरार हो गया। पेटीएम मशीन के क्यूआर कोड स्केन करने पर उस पर AMMNULLAH लिखा आया तब आस पड़ौस में पूछने पर किसी ने दुकान मालिक कार्यकर्ता का नाम पता नहीं बताया। मौके पर उक्त दुकान में कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

वाली बांसुरियां पायी गयी। मौके पर पाए गये 14 गैस सिलेण्डरों का विवरण इस प्रकार है:-

क्र.स.	गैस कम्पनी का नाम	नम्बर	टंकी का वजन	कुल वजन	गैस का वजन
1.	एच.पी.	378573–T	16.0 किलो	30.2 किलो	14.2 किलो
2.	एच.पी.	378681–T	15.8 किलो	30.0 किलो	14.2 किलो
3.	एच.पी.	244560–T	15.7 किलो	25.5 किलो	09.8 किलो
4.	एच.पी.	049218–T	15.7 किलो	15.7 किलो	00.0 किलो
5.	एच.पी.	422708–T	15.7 किलो	15.7 किलो	00.0 किलो
6.	एच.पी.	0571184–T	15.4 किलो	15.4 किलो	00.0 किलो
7.	एच.पी.	081750–T	15.6 किलो	15.6 किलो	00.0 किलो
8.	एच.पी.	462729–T	15.6 किलो	15.6 किलो	00.0 किलो
9.	एच.पी.	779226–S	16.0 किलो	16.0 किलो	00.0 किलो
10.	एच.पी.	196889–S	16.0 किलो	16.0 किलो	00.0 किलो
11.	एच.पी.	94403–P	15.4 किलो	15.4 किलो	00.0 किलो
12.	एच.पी.	48200–T	16.6 किलो	16.6 किलो	00.0 किलो
13.	एच.पी.	911598–S	15.7 किलो	15.7 किलो	00.0 किलो
14.	एच.पी.	5874	18.9 किलो	18.9 किलो	00.0 किलो

जब्तसुदा उक्त सभी 14 गैस सिलेण्डर एच.पी.कम्पनी के तथा 13 घरेलु गैस सिलेण्डरों में से 3 में गैस भरी हुई पाई गई व दस खाली पाये गये। मौके पर दुकान में कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां को जब्त सरकार किया जाकर निकटवर्ती गैस एजेन्सी मरूधर गैस एजेन्सी जोधपुर के प्रतिनिधि को सुपुर्द किया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा मौके पर उक्त दुकान में कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां का अवैध भण्डारण व रिफलिंग का कार्य किया जा रहा था जो कि द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का उल्लंघन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी द्वारा धारा 6(ए) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर जब्त उक्त कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां को राज्यसात् किये जाने की प्रार्थना की गई।

प्रकरण में अप्रार्थी के उपस्थित नहीं होने पर प्रार्थी विभागीय पेरोकार की एक पक्षीय बहस सुनी गयी। प्रार्थी विभागीय पेरोकार श्री विक्रम देवीदास प्रवर्तन अधिकारी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अप्रार्थी द्वारा दुकान पर वक्त जांच मौके पर कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां का अवैध भण्डारण व रिफलिंग कार्य होना पाया गया। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी द्वारा मौके पर उक्त दुकान में कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां का अवैध भण्डारण कर रिफलिंग कार्य हेतु उपयोग में लिया जाने से आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 का स्पष्ट रूप

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर

Scanned with CamScanner

से उल्लंघन किया गया है जिसके कारण जब्त उक्त कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर, एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां को राज्यसात किये जाने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया गया।

हमने विभागीय पेरोकार की एकपक्षीय की बहस पर मनन एवं प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया। प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार मय पुलिस टीम वक्त जांच मौके पर उक्त दुकान में कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां का अवैध भण्डारण व रिफलिंग कार्य किया जाना पाया गया। मौके पर दुकान पर वक्त जांच कोई उपस्थित नहीं मिला। पुलिस अधिकारी ने अवगत कराया कि दुकान पर दबिश देने पर उसका मालिक फरार हो गया। अप्रार्थी द्वारा अपनी दुकान पर मौके पर कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां का अवैध भण्डारण कर अवैध रिफलिंग का कार्य किया जाना पाया गया जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय व वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लघंन है तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः प्रार्थी सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी जिला रसद कार्यालय प्रथम जोधपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा मौके पर उक्त दुकान में जब्तसुदा कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां को राज्यसात करने का आदेश दिया जाता है। जिला रसद अधिकारी प्रथम जोधपुर को निर्देशित किया जाता है कि जब्तसुदा कुल 13 घरेलु गैस सिलेण्डर एक व्यावसायिक गैस सिलेण्डर(खाली), एक गैस भरने की मशीन, मापतौल का एक इलेक्ट्रॉनिक कांटा, पेटीएम मशीन, गैस सिलेण्डर से गैस भरने में प्रयुक्त होने वाली बांसुरियां का नियमानुसार निस्तारण किया जाकर राशि राज्य कोष में जमा कराई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो तथा बाद तकमील तामिल दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 28.04.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(सुरेन्द्र सिंह पुरोहित)
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)
जोधपुर

जिला कलक्टर (द्वितीय) जोधपुर (राज.)

Scanned with CamScanner